

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

त उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा


मुकाम मालाखेड़ा

बनाम .....

दमा .....

नं० .....

सन् .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>18/3/25</p> <p>पत्रावली फेर दुई / अनुनाप उप. / अप्रार्थीगण अधिवक्ता को जवाब के पत्रावली अवसर कि जाने के उपरान्त जवाब पत्रावली मिला / अतः अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है / वहील वही प्रार्थी की कसम हुनी गई / पत्रावली का अवलोकन मिला /</p> <p>प्रा.ख 212 एन एचान कावतगरी अधिनियम 1955 के निर्माण पर तीन विन्दुओं प्रथम दुष्ट्या के ल, दुर्विधा का अनुमूलन एक नापूति हानि पर गौर करना होता है / पत्रावली में संलग्न हस्ताक्षर जमावही संख्या 2072-2075 ग्राम हल्लीना के उता सं. नमा 805 में वहील उतरा नम्बर 2387, 2814, 2941. जमावही संख्या 2072-2075 उता संख्या नमा 790 में वहील विकसित आरजी उतरा नम्बर 2815, 2946 का अवलोकन मिला / प्रार्थी द्वारा उतरा नम्बर 2814 का ग्राम हल्लीना पर अनुतोष काहा जमा है / अतः उतरा नम्बर पर प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण के उतरा का अंश है / जिसमें प्रथम दुष्ट्या के ल प्रार्थी के पक्ष में नही पत्रावली जाता है / प्रथम दुष्ट्या के ल प्रार्थी के पक्ष में साक्षित नही होता है तो दुर्विधा का अनुमूलन एक नापूति हानि की प्रार्थी के पक्ष में नही पायी जाती है /</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध नही होके पर उचित किया जाता है / प्रा.ख फेराल होकर नम्बर से नमा सं. संलग्न मूल काह रहे /</p>	<p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              मालाखेड़ा (अलवर)         </p>